

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत भतरौजर निगराली- भिकियासैण मोटर मार्ग का विस्तार (5.00 किमी.)

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) - ०.०१६३ है०

आरक्षित वनभूमि - है०

सिविल एवं सोयम वनभूमि - - ०.११९८

वन पंचायत वनभूमि - - ०.१६५

योग - ०.१६३ है०

निजी भूमि - ३.५३७ है०

3- प्रस्तावित विभाग का नाम - प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

4- वन प्रभाग का नाम - अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

5- प्रस्ताव बांड़डिंग किया गया है -

हाँ / नहीं

6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है -

हाँ / नहीं

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ / नहीं

8- क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है -

हाँ / नहीं

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ / नहीं

10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है -

हाँ / नहीं

11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है - बांज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।

हाँ / नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -

हाँ / नहीं

13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है -

हाँ / नहीं

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है -

हाँ / नहीं

15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है -

हाँ / नहीं

16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक स्थल को दर्शाया गया है -

हाँ / नहीं

17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है -

हाँ / नहीं

18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है -

हाँ / नहीं

19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है -

हाँ / नहीं

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ / नहीं

पेज-2

- 20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ / ~~नहीं~~
- 21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - ~~हाँ~~ / नहीं
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
- 22- क्या मानचित्र में प्रभावित प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ / ~~नहीं~~
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ / ~~नहीं~~
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - ~~हाँ~~ / नहीं
- 25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। ~~हाँ~~ / नहीं
- 26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ / ~~नहीं~~
- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हाँ / ~~नहीं~~
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) ~~हाँ~~ / नहीं
- 29- मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हाँ / ~~नहीं~~
- 30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हाँ / ~~नहीं~~
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / ~~नहीं~~
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / ~~नहीं~~
- 32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं हाँ / ~~नहीं~~
यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं -
- 33- यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - ~~हाँ~~ / नहीं
- 34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ / ~~नहीं~~
- 35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ / ~~नहीं~~
- 36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं - हाँ / ~~नहीं~~

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

अधिश्रम अभियन्ता,
ग्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

परिशिष्ट
(देखिय नियम-6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण				
A.	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का विवरण -	जनपद अल्मोड़ा में भतरौजखान-निगराली-भिकियासैण मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 5.00 किमी. (0.963 है०)			
B.	1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप/डिजिटल मैप	संलग्न है।			
C.	परियोजना की लागत-	रु. 82.56 लाख।			
D.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य-	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।			
E.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)-	संलग्न है।			
F.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना हैं-	निर्माण कार्य से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।			
2	कुल आपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण-	आरक्षित वनभूमि	राज्य वन भूमि	वन पंचायत भूमि	कुल भूमि
		0.00 है०	0.198 है	0.765 है०	0.963 है०
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है-	आवश्यकता नहीं।			
A.	परिवारों की संख्या-	आवश्यकता नहीं।			
B.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या-	आवश्यकता नहीं।			
C.	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)-	आवश्यकता नहीं।			
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है। (हाँ/नहीं)	नहीं।			
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।			
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।			

दिनांक- 28-03-015

स्थान- रानीखेत

(सतीश चन्द्र अग्रवाल)
अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत